

आदेश-पत्रक

(दिखे अभिलेख हस्तक; 1941 का नियम 139)

आदेश पत्रक ता० तक

वाद सं०-73/2021

केस का प्रकार - अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत ।

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
27.09.2021	<p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 6226/सी०आर०, दिनांक 24.09.2021 द्वारा (संलग्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी के पत्रांक 904 दिनांक 18.09.2021) अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया ।</p> <p>उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी इंदल मियां, पिता स्व० घणल मियां, सा०-मिरचाईबाड़ी, थाना-जानकीरनगर, जिला-पूर्णिया एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है । वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं । इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है । वर्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है । जिसके फलस्वरूप आगामी पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है ।</p> <p>इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जानकीनगर थाना कांड संख्या-168/2017 दिनांक-29.09.2017, धारा-392 भा०द०वि० । 2. जानकीनगर थाना कांड संख्या-110/2010 दिनांक-11.06.2010, धारा-414 भा०द०वि० । 3. श्रीनगर थाना कांड संख्या-18/2010 दिनांक-19.04.2010, धारा-395 भा०द०वि० । 4. जानकीनगर थाना सनहा संख्या-707 दिनांक-30.08.2021 । 5. जानकीनगर थाना सनहा संख्या-758 दिनांक-27.03.2021 । <p>अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है ।</p> <p>इस अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव दिनांक 25.09.21 को संध्या में प्राप्त कराया गया है । इस अधिनियम की धारा 3</p>	

के तहत कार्रवाई का आदेश पारित करने के पूर्व विपक्षी को नोटिस तामिला कराकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि बनमनखी प्रखंड अन्तर्गत दिनांक 29.09.2021 को मतदान तथा दिनांक 01.10.2021/02.10.2021 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। ऐसी स्थिति में इतने कम समय में नोटिस का तामिला कराकर विपक्षी का पक्ष सुना जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।


चूँकि थानाध्यक्ष, जानकीनगर / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः थानाध्यक्ष, जानकीनगर को निदेश दिया जाता है कि इंदल मियां, पिता स्व० घम्ल मियां, सा०-मिरचाईबाड़ी, थाना-जानकीनगर, जिला-पूर्णिया पर पंचायत निर्वाचन 2021 के दौरान (दिनांक 03.10.2021 तक) निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।



जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

क्रमांक 2381, विधि, दिनांक 29/09/2021

प्रतिसिप :- धाराध्यक्ष जनकी नगर को सुचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित ।

प्रतिसिप :- अनुपुषिख पदाप ककनखी / जिला जन सुपके पदापुषियां एवं जिला सुचता एवं विज्ञाप पदाधिकारी, सुषियां को सुचनाएं एवं आवशुपक कपियां प्रेषित ।

प्रतिसिप :- पुषिख अजीवक, सुषियां को शावर सुचनाएं प्रेषित ।


वरीय उपसमाहर्ता
जिला विधि शाखा
शुद्धा पूर्णियां
29.9.21